भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3396

09 अगस्त, 2023 के लिए प्रश्न

राशन कार्डों में आधार सीडिंग

3396. डॉ. के. जयकुमार:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राशन कार्डों में आधार सीडिंग की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में आधार कार्ड न होने अथवा बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण में विफलता के कारण राशन कार्ड रद्द किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो राशन कार्डों को रद्द किए जाने के औचित्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को खाद्यान्न न दिए जाने के कारण भुखमरी से होने वाली मौतों की जानकारी है क्योंकि पीड़ित राशन कार्डों को आधार से जोड़ने में विफल रहे हैं; और

(ड.) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): वर्तमान में, देश में 99.7% राशन कार्ड आधार से जुड़े हुए हैं। राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) से (ड.): इस विभाग ने राशन कार्डों की आधार सीडिंग दिनांक 30/09/2023 तक पूर्ण करने हेतु, आधार अधिनियम, 2016 की धारा-7 के कार्यान्वयन में दिनांक 08/02/2017 (समय-समय पर यथासंशोधित) को जारी अधिसूचना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई समय-सीमा बढ़ा दी है। तब तक, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि किसी भी वास्तविक लाभार्थी/परिवार को पात्र राशन कार्ड/लाभार्थियों की सूची से नहीं हटाया जाएगा और केवल आधार संख्या के अभाव में या केवल आधार संख्या न होने, नेटवर्क/कनेक्टिविटी/लिंकिंग समस्याओं या किसी अन्य तकनीकी कारण आदि से बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण की विफलता के आधार पर एनएफएसए के तहत खाद्यान्न के उनके पात्र कोटे से वंचित नहीं किया जाएगा।

तथापि, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) नियंत्रण आदेश, 2015 के अनुसार, राशन कार्डों/लाभार्थियों की सूची की समीक्षा, अपात्र/डुप्लिकेट राशन कार्डों की पहचान करने और वास्तविक पात्र लाभार्थियों/परिवारों को शामिल करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है, और हटाए गए राशन कार्डों का लाभ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत कवरेज पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सीमा के अध्यधीन नए लाभार्थियों/राशन कार्डों के लक्ष्यीकरण/जोड़ने के लिए लिया जाता है। इस विभाग ने लाभार्थियों/राशन कार्डों के डी-डुप्लिकेशन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर अनुदेश/संदेश भेजा है। इसके अलावा, किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से भूखमरी से मौत की कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत दिनांक 01 जनवरी 2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

.....2/-

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक चिह्नित मामले का उचित सत्यापन (फील्ड सत्यापन सहित) करने की सलाह दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक लाभार्थियों के राशन कार्ड हटाए/निलंबित न किए जाएं। तदनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें अपने निर्धारित मानदंडों के अनुसार उचित सत्यापन के बाद, अपने संबंधित प्रणाली से संभावित अपात्र, डुप्लिकेट/फर्जी लाभार्थियों/राशन कार्डों को हटाने के लिए आवधिक रूप से राशन कार्ड धारकों की अपनी सूचियों की समीक्षा करती हैं। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लगातार लाभार्थी सूची की समीक्षा करते हैं और सब्सिडी-प्राप्त खाद्यान्नों के उचित लक्ष्यीकरण को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की निर्धारित सीमा के तहत डुप्लिकेट/रद्द लाभार्थियों/राशन कार्डों के स्थान पर पात्र परिवारों/लाभार्थियों को नए राशन कार्ड जारी करते हैं।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 09.08.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3396 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राशन कार्ड और आधार सीडिंग का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय प्रणाली में कुल राशन कार्ड	आधार के साथ राशन कार्ड की संख्या	राशन कार्डों की सीडिंग प्रतिशत
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	16,797	16,797	100%
2	आंध्र प्रदेश	90,27,011	90,27,011	100%
3	अरुणाचल प्रदेश*	1,80,563	1,54,521	86%
4	असम	56,29,116	55,92,065	99%
5	बिहार	1,79,00,511	1,79,00,511	100%
6	चंडीगढ़	72,119	71,815	100%
7	छत्तीसगढ	53,00,590	52,98,626	100%
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	58,020	58,020	100%
9	दिल्ली	17,83,280	17,83,280	100%
10	गोवा	1,30,676	1,28,810	99%
11	गुजरात	76,12,435	76,06,855	100%
12	हरियाणा	34,71,028	34,71,028	100%
13	हिमाचल प्रदेश	7,55,122	7,53,409	100%
14	जम्मू एवं कश्मीर	16,59,893	16,59,876	100%
15	झारखंड	60,71,468	60,17,704	99%
16	कर्नाटक	1,13,84,605	1,13,84,605	100%
17	केरल	41,38,490	41,38,484	100%
18	लद्दाख	29,533	29,533	100%
19	लक्षद्वीप*	4,738	4,275	90%
20	मध्य प्रदेश	1,25,62,665	1,25,61,445	100%

...2/-

21	महाराष्ट्र	1,55,25,890	1,55,25,890	100%
22	मणिपुर	5,68,010	5,65,119	99%
23	मेघालय*	4,21,542	2,36,746	56%
24	मिजोरम	1,70,002	1,68,941	99%
25	नागालैंड*	3,23,449	3,12,837	97%
26	ओडिशा	92,91,068	92,51,962	100%
27	पुदुचेरी	1,91,486	1,91,334	100%
28	पंजाब	38,38,733	38,38,281	100%
29	राजस्थान	1,07,15,611	1,07,08,904	100%
30	सिक्किम	97,716	97,439	100%
31	तमिलनाडु	1,14,65,491	1,14,65,442	100%
32	तेलंगाना	54,52,538	54,52,538	100%
33	त्रिपुरा	6,03,175	6,03,123	100%
34	उत्तराखंड	13,93,357	13,93,270	100%
35	उत्तर प्रदेश	3,60,33,236	3,60,30,392	100%
36	पश्चिम बंगाल	1,41,60,769	1,39,63,862	99%
राष्ट्रीय सारांश		**19,80,40,733**	**19,74,64,750**	**99.7%**

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिए गए डाटा के अनुसार।

*कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में (अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मेघालय और नागालैंड) में आधार नामांकन में देरी के कारण आधार के साथ राशन कार्डों की सीडिंग का पूर्ण कवरेज प्रतीक्षित है।